संख्या-143/2025/2002/22-2-2023-17(848)/2022

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी निरतो पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी निरतो पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी-महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। गंगाराम की पुत्री अपने घर से भाग गयी थी 03 दिन बाद वापस आयी तो 02 लडको के ऊपर आरोप लगा कर दिनांक 28-03-1991 को 52 लोगों ने मिलकर सायंकाल समय 09:00 बजे मंगतू पहलवान की बैठक पर पंचायत बुलायी गयी जिसमें तीनों लोगो को बारी-बारी से पीटा गया और दोनों लडकों को उल्टा लटका कर उनके गुप्तांगों को जलाया गया। प्रात:काल तीनों को फांसी पर लटकाया और फिर अधमरे हालत में शमशान घाट पर जला कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-359/1991 में धारा-3(3)10, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष की सजा व भा०द०वि० की धारा-147, 302/149, 323/149, 324/149, 201/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा मत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31-05-2016 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा अपील को अस्वीकार कर सजा को यथावत् रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2022 तक 12 वर्ष, 11 माह, 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 00 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- सिद्धदोष बन्दी निरतो पुत्र श्री भंवर सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा 12 वर्ष, 11 माह, 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 00 माह, 10 दिन की भोगी गयी सजा, 56 वर्ष की आयु तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी निरतो (बन्दी संख्या-17026) पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-143/2025/2002(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।